प्रेस नोट

दिनांक 12.04.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर को किया गया गिरफ्तार, 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 325/2026 धारा 303 (2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस से संबंधित 01 शातिर वाहन चोर - अभिमन्यु शुक्ला को मिश्रौलिया ओवरब्रिज के पास आयल डिपो वाले रास्ते से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी जुबेर अहमद पुत्र अब्दुल हमीद निवासी महरानीगंज घोसियाना (बड़गांव) जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर पर सूचना दी गई कि दिनांक 11.04.2026 को उसकी HF Delux UP43AQ1049 महिला अस्पताल के बाहर खड़ी थी, वहां से किसी अज्ञात चोर ने बाइक चोरी कर ली । जिसे काफी खोजबीन किया लेकिन कोई पता नहीं चला । प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 12.04.2026 को थाना को0 नगर पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र में रवाना थी, इसी दौरान मिश्रौलिया ओवरब्रिज के पास आयल डिपो वाले रास्ते पर वाहन चोर अभिमन्यु शुक्ला पुत्र रमेश कुमार निवासी भटवलिया थाना कोतवाली नगर गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई । बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय गोण्डा रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अभिमन्यु शुक्ला उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र रमेश कुमार निवासी भटवलिया थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. 325/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद चोरी की मोटर साइकिल HF Delux UP43AQ1049

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अंकित उपाध्याय मय व मय हमराह
02. उ0नि0 सोनू कुमार
03. आरक्षी पियूष गोस्वामी

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 12.04.2026

जनपद गोण्डा।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा पूर्व अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा (पूर्वी) श्री मनोज कुमार रावत के जनपद सम्भल स्थानांतरण पर गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन, प्रतीक चिन्ह व पुष्पमाला अर्पित कर दी गईं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं-

जनपद गोण्डा में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) के पद पर तैनात रहे श्री मनोज कुमार रावत के जनपद सम्भल स्थानांतरण के उपलक्ष्य में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन, गोण्डा के सभागार कक्ष में एक भव्य एवं गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अत्यंत सौहार्दपूर्ण एवं सम्मानजनक वातावरण में सम्पन्न हुआ, जिसमें जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारीगण, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, क्षेत्राधिकारीगण, थाना प्रभारीगण सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा श्री मनोज कुमार रावत को प्रतीक चिन्ह भेंट कर तथा पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अन्य अधिकारीगण द्वारा भी उन्हें पुष्पगुच्छ अर्पित कर उनके उत्कृष्ट सेवाकाल की सराहना की, तथा उनके उज्ज्वल भविष्य एवं सफल आगामी दायित्वों हेतु हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त की गई।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि श्री मनोज कुमार रावत एक कर्मठ, अनुशासित एवं कुशल प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने, अपराध नियंत्रण में प्रभावी कार्यवाही करने तथा आमजन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व एवं अनुभव का लाभ विभाग को सदैव प्राप्त होता रहेगा तथा उनके द्वारा स्थापित कार्यशैली अन्य अधिकारियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहेगी। समारोह के दौरान विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भी अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री मनोज कुमार रावत के सरल, सहज एवं मिलनसार व्यक्तित्व की प्रशंसा की गई। उनके कार्यकाल में टीम भावना, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने की संस्कृति को और अधिक सुदृढ़ करने में उनके योगदान को विशेष रूप से सराहा गया।

इस अवसर पर श्री मनोज कुमार रावत ने भी अपने उद्गार व्यक्त करते हुए जनपद गोण्डा में बिताए गए समय को अपने सेवा जीवन का महत्वपूर्ण एवं यादगार अध्याय बताया तथा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यहां का अनुभव उनके आगामी दायित्वों के निर्वहन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

जनपद गोण्डा में अपने कार्यकाल के दौरान श्री मनोज कुमार रावत द्वारा जनपद गोण्डा में विभिन्न महत्वपूर्ण अवसरों एवं आयोजनों जैसे कजरी तीज, होली, दीपावली, ईद, मोहर्रम, विजयदशमी तथा लोकसभा चुनाव आदि को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया गया। इन अवसरों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आपसी सौहार्द कायम रखने एवं सुरक्षा प्रबंधों को प्रभावी रूप से लागू करने में उनके नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा सराहनीय कार्य किया गया, जिसकी जनपद स्तर पर व्यापक प्रशंसा हुई।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री राधेश्याम राय, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, समस्त थाना प्रभारीगण, प्रतिसार निरीक्षक एवं अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन भावनात्मक एवं आत्मीय वातावरण में हुआ, सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण ने श्री मनोज कुमार रावत को विदाई देते हुए उनके स्वस्थ, सुखद एवं सफल भविष्य की कामना की।

मीडिया सेल,गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 12.04.2026, थाना को0 नगर
जनपद गोण्डा।

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा बंधक बनाकर जबरन वसूली करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 - 0699/2025 धारा 127(2), 352, 351(3), 308(5) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद वांछित अभियुक्त- विजय किशोर सिंह पुत्र स्व0 राज किशोर सिंह उम्र करीब 55 वर्ष निवासी 33 आजाद नगर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा, स्थाई पता - लिलोई कला थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को आनन्द समोसा के पास बहराइच रोड जनपद गोण्डा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी विन्ध्यवेन्द्र मिश्रा उर्फ सत्यम मिश्रा पुत्र स्व कौशलेन्द्र कुमार मिश्रा, निवासी तिवारी पुरवा, बहराइच रोड, थाना को0नगर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर पर सूचना दी गई कि दिनांक 20.08.2025 को रात 08.00 बजे वादी झंझरी ब्लॉक से अपने घर के लिए निकल ही रहा था, कि विपक्षी विजय किशोर सिंह उर्फ भोलू सिंह अपने 2-3 साथियों के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी से आये और जबरदस्ती बलपूर्वक पकड़कर उसे झंझरी ब्लॉक के पास ही पेरी तालाब के पास ले गये और धमकी दी कि आजाद नगर में स्थित प्लाट को लेकर उसके विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज कराया है उसे वापस ले लो और जो वादी के घर से सटी जमीन है उसका बैनामा उसके नाम करके रु0 12,50,000/- दे दो, नहीं तो वह सारी जमीन हड़प लेगा और वादी को कुछ नहीं देगा । इस पर जब वादी ने विरोध जताया तो विपक्षी विजय किशोर सिंह उर्फ भोलू सिंह ने वादी पर रायफल तानते हुए जान से मार डालने की धमकी दी । हल्ला गुहार पर कुछ लोग आ गये तो विपक्षीगण वादी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर पर सुसंगत धाराओं में नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 12.04.2026 को नामजद वांछित अभियुक्त -विजय किशोर सिंह पुत्र स्व0 राज किशोर सिंह उम्र करीब 55 वर्ष निवासी 33 आजाद नगर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा, स्थाई पता - लिलोई कला थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को आनन्द समोसा के पास बहराइच रोड जनपद गोण्डा से गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

पुलिस द्वारा अभियुक्त से उक्त घटना में प्रयुक्त चार पहिया गाड़ी (फॉर्च्यूनर) व रायफल के बारे में पूछा गया तो अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बताया गया कि उसकी राइफल (315 बोर) व फॉर्च्यूनर गाड़ी लखनऊ में उसके लड़के के पास है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विजय किशोर सिंह उम्र करीब 55 वर्ष पुत्र स्व0 राज किशोर सिंह नि0- 33 आजाद नगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा, स्थाई पता - लिलोई कला थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 - 0699/2025 धारा 127 (2), 352, 351 (3), 308 (5) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अंकित सिंह चौकी प्रभारी मिश्रौलिया थाना को0 नगर मय हमराह
02. हे0कां0 विजय शंकर सिंह
03. कां0 राजेश कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।